न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

प्रा0प0 संख्या :– 299/08

श्रीमती माली देवी पुत्री घीसा उर्फ घीस्या, पत्नि श्री फूलचन्द, जाति अहीर, निवासी ग्राम हरदरामपुरा, खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। हाल निवासी निमड़ा वाली ढाणी, खेजराली, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

––प्रार्थीया/वादीया

बनाम

1. विरेन्द्र सिंह यादव तत्कालीन तहसीलदार चौमूं, हाल ए.एस.ओ. जयपुर भू प्रबन्ध विभाग जयपुर।
2. अनिल कौशिक तत्कालीन पटवारी हल्का ग्राम खेजरोली, हाल पटवारी तहसील साम्भर लेक, जिला जयपुर। मृतक (नाम हजफ)
3. शायर सिंह गिरदावर हल्का खेजरोली, तहसील चोमूं, जिला जयपुर।
4. रामेश्वर प्रसाद यादव हाल सरपंच ग्राम पंचायत खेजरोली, तह0 चौमूं

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 “ए” सी.पी.सी.

निर्णय

निर्णय दिनांक :–31.01.2018

प्रार्थीया/वादीया ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीया/वादीया के स्व0 पिता घीसा उर्फ घीस्या के विरासत की कृषि भूमि खसरा नम्बर 194 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 471 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 472 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 475 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 476 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 327/8678 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 15 का कुल रकबा 7.04 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजराली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थीया/वादीया ने अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.01.28 15:52:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उक्त पैतृक कृषि भूमि में अपने खातेदारी अधिकरों की घोषणा हेतु एक राजस्व वाद संख्या 130/2006, उनवारी माली देवी बनाम औंकार वगै0 न्यायालय श्रीमान् के यहां प्रस्तुत कर रखा है जो श्रीमान् के न्यायालय में लम्बित है। प्रार्थीया/वादीया ने अपने उक्त वादी के साथ एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र 119/2006 पेश किया था, जिसमें श्रीमान् ने दिनांक 02.05.2006 को विक्रय नहीं करने बाबत् स्थगन भी जारी किया हुआ था। श्रीमान् ने उक्त आदेश के बावजूद नाथूलाल पुत्र श्याामा ने एक विक्रय पत्र दिनांक 24.06.2006 को श्रीमति मंजुदेवी पत्नि पांचुराम, श्रीमति बिदामी देवी पत्नि श्रवण देवी को दावे में पक्षकार।उनवान माली देवी बनाम औंकार वगै0। बनाने का प्रार्थना पत्र व एक अस्थायी निषैधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 219/06 उनवानी माली देवी बनाम औंकार वगै0 दिनांक 24.07.06 को श्रीमान् के न्यायालय में पेश किया, जिस पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार चोमूं को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया था कि वह विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिाति बनाये रखे। श्रीमान् के उक्त आदेश अप्रार्थी संख्या 2 पटवारी हल्का खेजराली के पाबन्द रहने के बावजूद भी न्यायालय के आदेश की जानबूझ कर अवमानना करते हुये नियम कायदों की परवाह नहीं करते हुये नामान्तकरण संख्या 607 दिनांक 05.06.2007 को खोला गया।

न्यायालय श्रीमान् द्वारा अप्रार्थीगण को स्पष्ट रुप से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया हुआ था कि विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तथा न्यायालय श्रीमान् का उक्त आदेश आज वर्तमान में भी प्रभावी हैं, तथा नामान्तकरण खोले जाने वक्त भी प्रभावी था, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा जानबुझ कर नामान्तकरण खोलकर न्यायालय के आदेश की अवमानना की हैं, जिस हेतु अप्रार्थीगण को दण्डित किया जाता आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त न्यायालय आदेश की विधिवत तामिल भी हो गई थी तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उसके अधिनस्थ कर्मचारी हैं, उनको भी उक्त आदेश की जानकारी थी तथा उक्त अप्रार्थीगणों को न्यायालय श्रीमान् के आदेशों से पाबन्द किया हुआ था, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने वाद के प्रतिवादीगण को फायदा पहुंचाने की गरज से न्यायालय की अवमानना का कृत्य किया है, जिस हेतु वे दण्ड के भागीदार हैं। उक्त नामान्तकरण संख्या 607 दिनांक 05.06.2007 को अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 ग्राम पंचायत की मीटिंग में प्रस्तुत किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा न्यायालय के आदेश की परवाह नहीं करते हुये उसे तस्दीक किया गया हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या 4 उक्त नामान्तकरण को तस्दीक करते समय तहसीलदार चौमूं की शक्तियों का प्रयोग कर रहा था तथा वह भी श्रीमान् के आदेशों से पूर्णतया पाबन्द था, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नामान्तकरण खोलकर न्यायालय के आदेश की खुली अवमानना की है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 24.

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.01.28 15:52:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

07.2006 की स्पष्ट रुप से अवमानना की है, यदि उनको उक्त अवमानना हेतु दण्डित नहीं किया गया तो विधि व न्याय के मकसद ही फौत हो जावेंगे, तथा आम जनता का न्यायव्यवस्था से विश्वास उठ जायेगा।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 व 4 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थिया की ओर से साक्ष्य का शपथ पत्र व दस्तावेजात पेश किये गये।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की उक्त खसरा नम्बर ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित होना रिकार्ड का विषय है एवं वादीया द्वारा वर्णित एक राजस्व वाद संख्या 130/2006 उनवानी मालीदेवी बनाम औंकार वगै0 न्यायालय श्रीमान् के लम्बित होना एवं एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 119/2006 पेश होना एवं उसमें दिनांक 02.05.2006 को विक्रय नहीं करने बाबत स्थगन भी जारी किया होना उक्त समस्त तथ्य पत्रावली का रिकार्ड का विषय है। एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 219/2006 उनवानी मालीदेवी बनाम औंकार वगै0 दिनांक 24.07.2006 को श्रीमान् न्यायालय के पेश होना एवं जिस पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा मिनजवाबदाता अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् पाबन्द किया जाना राजस्व रिकार्ड का विषय है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 219/2006 में न्यायालय श्रीमान् द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा रिकार्ड की यथास्थिति बाबत् आदेश दिनांक 28.07.2006 को प्राप्त होने पर आदेश की पालना ससम्मान की गई है। मिनअप्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान् के आदेशों की अवमानना नहीं की गई है। मिनजवाबदाता अप्रार्थी संख्या एक को उक्त न्यायालय आदेश की विधिवत तामील होना रिकार्ड का विषय है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विधि अनुसार ही कार्य करते है एवं न्यायालय श्रीमान के आदेशों की ससम्मान पालना की गई है। मिनजवाबदाता अप्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 24.07.2006 की स्पष्ट रुप से पालना की गई है। उक्त आदेश की मिनअप्रार्थी द्वारा कोई अवहेलना नहीं की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.01.28 15:52:22 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया की दिनांक 05.07.2006 को ग्राम खेजरोली के नामान्तकरण संख्या 607 की जांच आई.एल.आर. खेजरोली की हेसियत से की है जो सही है। उस समय आई.एल.आर. खेजरोली का मेरे

Scanned by CamScanner

पास अतिरिक्त चार्ज था। नामान्तकरण संख्या 607 पटवारी हल्का खेजरोली बी द्वारा दिनांक 30.06.2006 को भरा गया था एवं दिनांक 05.07.2006 को मेरे समक्ष पेश किये जाने पर विधिवत रिकार्ड से चांज कर अपनी जांच रिपोर्ट की थी। दिनांक 05.07.2006 को नामान्तकरण संख्या 607 की जांच के समय जमाबन्दी में या नामान्तकरण में कहीं भी स्टे का कोई नोट दर्ज नहीं था। तहसील कार्यालय या अन्य किसी भी श्रोत से कभी भी इस नामान्तकरण में दर्ज भूमि के सम्बन्ध में स्टे के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अतः मिन उत्तरदाता पर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का लगाया गया आरोप मिथ्या व निराधार है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में मुख्य रुप से उन्हीं तथ्यों को दोहराया जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रकरण हाजा में तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 30.06.2006 को नामान्तकरण भरा गया है व दिनांक 05.07.2006 को तत्कालीन गिरदावर द्वारा जांच किया जाना स्पष्ट है लेकिन जिस वक्त विवादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण भरा गया व जांच की गई उस समय रिकार्ड पर कोई स्थगन आदेश व नोट अंकित नहीं होना दर्शित होता है जिसकी पुष्टि जवाब व प्रार्थिया द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.07.2006 से होती है। प्रश्नगत नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया है तथा तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में पुख्ता रुप से तत्कालीन पटवारी द्वारा आदेश को नजरअन्दाज कर तस्दीक हेतु प्रस्तुत किया गया। चूंकि तत्कालीन पटवारी अप्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु हो चुकी है। जिसके द्वारा ही आदेश की अनदेखी कर कार्यवाही की गई है। ऐसे में मृतक व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को मेरे द्वारा [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.01.28 15:52:22 IST
Reason: SelfAttested

(सीमा शर्मा)
(आर0ए0एस0)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौमूँ

Scanned by CamScanner